



कार्यालय: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची-834002, Phone-0651-2481909 (O) / 2480413 (F), e-mail-pccfjharkhand@yahoo.co.in

पत्रांक: 5बी0स्था0व्य0/नि0प्र0-01(2018-19) - 3729

दिनांक: 12/10/2018

प्रेषक:

संजय कुमार, भा0व0से0,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखंड, राँची।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक,
प्रसार वानिकी उत्तरी छोटानागपुर पलामू एवं हजारीबाग।

विषय: वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना व्यय (विस्तृत), मांग संख्या-19, मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी के अधीन "01- निदेशन एवं प्रशासन", उपशीर्ष में राशि के आवंटन के संबंध में।

प्रसंग:- योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) झारखंड सरकार, राँची का पत्रांक 29/बी0टी0ई0-10/2017-18/77/बजट, दिनांक 21.02.2018।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से राशि व्यय करने की प्राप्त अनुमति के आलोक में "01- निदेशन एवं प्रशासन", उपशीर्ष के विभिन्न इकाईयों में कुल 16.52 लाख रु0 (सोलह लाख बावन हजार रु0) मात्र की अतिरिक्त आवंटन दी जाती है।

1. यह आवंटन योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) झारखंड सरकार राँची के पत्रांक-29/ बी0टी0ई0-10/2017-18 /77/बजट राँची, दिनांक 21.02.2018 तथा बिहार सरकार, वित्त विभागीय ज्ञाप संख्या-एम0-4-05/98 2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में किया जाता है।
2. रोकड़ प्रवाह (कैश फ्लो) के संबंध में वित्त विभागीय पत्रांक वित्त 4-23/2003/1800 दिनांक 15.07.2003 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. आवंटन पत्र में अंकित विपत्र कोड के अनुसार ही लेखा संधारण किया जाय।
4. इस राशि से संबंधित नियंत्री पदाधिकारी अपने अधीन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को विनिर्दिष्ट करते हुए कोषागार/उप कोषागार को सूचित करेंगे तथा उसी अनुसार राशि की निकासी, संबंधित जिले के कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।
5. निकासी एवम् व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि राशि निकासी के पूर्व जिस कार्य के लिए निकासी की जा रही है उसके लिए यथा योग्य सक्षम स्तर से तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो गयी हो एवम् राशि का पूर्ण सदुपयोग कर लिया जायेगा।
6. संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन संरक्षक, क्षेत्रीय/मुख्य वन संरक्षक, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा व्यय का सतत् अनुश्रवण किया जायेगा। झारखंड सरकार वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-4/यो0 बजट-05/10-819 दिनांक 10.03.2011 को भी द्रष्टव्य रखा जायेगा।
7. राशि की निकासी एवं व्यय झारखंड कोषागार संहिता के नियम सं0-174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा। सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों एवं वित्तीय नियमों के अनुसार की जाएगी।
8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि ऐसी निकासी कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

9. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय ज्ञाप सं० 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में नियंत्री पदाधिकारी से उप आवंटन प्राप्त होने के उपरांत की जाएगी।
10. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखंड सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा। मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान केवल आधार लिंक बैंक खाता में ट्रांसफर अथवा A/c Payee चेक के माध्यम से किया जाएगा।
11. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का विचलन न हों।
12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय कराया जायेगा। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा इसका नियमित अनुश्रवण के साथ-साथ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से Ledger लेखा समय से प्राप्त कर संतुष्ट होते हुए महालेखाकार को भेजा जायेगा।
13. यह आवंटन आपके कार्यालय पत्रांक 902 दिनांक 01.10.2018 के आलोक में दिया जा रहा है।
14. 01-वेतन इकाई से न्यायालय आदि से आच्छादित, पूर्व में सेवानिवृत्त एवं माह मार्च 2019 तक होने वाले सेवानिवृत्त पदाधिकारियों/कर्मचारियों एवम् चालू वित्तीय वर्ष का मंहगाई भत्ता का बकाया को छोड़कर अन्य बकाया वेतनादि की निकासी अगले आदेश तक नहीं की जाय।
15. 33-दूरभाष इकाई में आवंटित राशि कार्यालय एवम् आवासीय कार्यालय के स्थलीय दूरभाष (Landline) एवम् इसके साथ Broad Band Internet के लिए है जिसे हर स्थिति में चालू रखने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए।
16. 42-मोटरगाड़ी, इंधन एवं मरम्मत इकाई में आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग, झारखंड सरकार के परिपत्र संख्या-वित्त-4-61/2001-4015/वि० दिनांक 09.11.2001 एवम् पत्र संख्या-वित्त-4-10/2002-996 दिनांक 06.03.2002 तथा अन्य परिपत्रों/ अनुदेशों में निहित प्रावधान के अनुसार व्यय करना सुनिश्चित किया जाय।
17. 37-विद्युत व्यय इकाई में आवंटित राशि का व्यय योजना-सह-वित्त विभाग, झारखंड सरकार के पत्रांक-वित्त-19/वि०नि०/3001/2015-1074/वि० दिनांक 22.03.2017 एवम् वन विभागीय ज्ञापांक-1368 दिनांक 28.03.2017 तथा इस कार्यालय का ज्ञापांक 1428 दिनांक 28.03.2017 के आलोक में अप्रैल 2015 से विद्युत विपत्रों का भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

आवंटन आदेश पत्र संख्या-BPHDA/01-18-19/102B की मूल प्रति अत्र-सह-संलग्न है।

अनु०-यथो०:

विश्वासभाजन,

सिद्धांत
12/10/18

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखंड, राँची।

कि
12/10/18



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Forest, Environment and Climate Change Department

चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - BPHDA/01-18-19/102B

दिनांक - 12-Oct-2018

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601001010101 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 001 - निदेशन तथा प्रशासन 01 - निदेशन एवं प्रशासन 01 - वेतन एवं भत्ते 01 - वेतन Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	63862	HZBFWL066 P.C. MISHRA APCCF&DIR.EX.FOR.N C&PALAMU,HZB	1,300,000.00 रुपये तेरह लाख
2	S 19 240601001010112 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 001 - निदेशन तथा प्रशासन 01 - निदेशन एवं प्रशासन 01 - वेतन एवं भत्ते 12 - छुट्टी यात्रा रियायत Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	63863	HZBFWL066 P.C. MISHRA APCCF&DIR.EX.FOR.N C&PALAMU,HZB	30,000.00 रुपये तीस हजार
3	S 19 240601001010315 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 001 - निदेशन तथा प्रशासन 01 - निदेशन एवं प्रशासन 03 - प्रशासनिक व्यय 15 - कार्यालय व्यय Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	63865	HZBFWL066 P.C. MISHRA APCCF&DIR.EX.FOR.N C&PALAMU,HZB	30,000.00 रुपये तीस हजार

1,360,000.00

योग:

क्रमिक योग:

रुपये तेरह लाख साठ हजार

12/10/18

(SANJAY KUMAR)

Principal Chief Conservator of Forest,

Jharkhand, Ranchi

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601001010317 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 001 - निदेशन तथा प्रशासन 01 - निदेशन एवं प्रशासन 03 - प्रशासनिक व्यय 17 - मशीन एवं उपकरण Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	63867	HZBFWL066 P.C: MISHRA APCCF&DIR.EX.FOR.N C&PALAMU,HZB	50,000.00 रुपये पचास हजार
5	S 19 240601001010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 001 - निदेशन तथा प्रशासन 01 - निदेशन एवं प्रशासन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	63869	HZBFWL066 P.C: MISHRA APCCF&DIR.EX.FOR.N C&PALAMU,HZB	100,000.00 रुपये एक लाख
6	S 19 240601001010333 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 001 - निदेशन तथा प्रशासन 01 - निदेशन एवं प्रशासन 03 - प्रशासनिक व्यय 33 - दूरभाष Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	63871	HZBFWL066 P.C. MISHRA APCCF&DIR.EX.FOR.N C&PALAMU,HZB	35,000.00 रुपये पैंतीस हजार

योग:

185,000.00

क्रमिक योग:

रुपये पंद्रह लाख पैंतालीस हजार

1,545,000.00

Principal Chief Conservator of Forest,

BCCP, HARKAND, RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601001010334 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 001 - निदेशन तथा प्रशासन 01 - निदेशन एवं प्रशासन 03 - प्रशासनिक व्यय 34 - वर्दी Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	63873	HZBFWL066 P.C. MISHRA APCCF&DIR.EX.FOR.N C&PALAMU,HZB	25,000.00 रुपये पच्चीस हजार
8	S 19 240601001010337 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 001 - निदेशन तथा प्रशासन 01 - निदेशन एवं प्रशासन 03 - प्रशासनिक व्यय 37 - विद्युत व्यय Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	63887	HZBFWL066 P.C. MISHRA APCCF&DIR.EX.FOR.N C&PALAMU,HZB	50,000.00 रुपये पचास हजार
9	S 19 240601001010442 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 001 - निदेशन तथा प्रशासन 01 - निदेशन एवं प्रशासन 04 - मोटरगाड़ियां / ईंधन 42 - मोटरगाड़ी ईंधन एवं मरम्मत Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	63890	HZBFWL066 P.C. MISHRA APCCF&DIR.EX.FOR.N C&PALAMU,HZB	32,000.00 रुपये बत्तीस हजार

योग:

107,000.00

क्रमिक योग:

रुपये सोलह लाख बावन हजार

1,652,000.00

(Signature)
12/10/18

(SANJAY KUMAR)

Principal Chief Conservator of Forest,

Jharkhand, Ranchi

(Signature)
12/10/18